

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024—फाल्गुन 21, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

अधि.क्र. 3 एफ 1-02/2022/18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची (1) में रूथा उल्लेखित क्षेत्रों को नगर पालिका क्षेत्र दमोह, जिला दमोह की सीमा में सम्मिलित करते हैं अर्थात्:-

## अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद दमोह की सीमाओं में सम्मिलित किये गये ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा -

क्र.	तह.	ग्राम पंचा . का नाम	ग्रामों के नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्षेत्र का ब्यौरा
.1	दमोह	इमलाई	1.इमलाई	2413	571.00	सम्पूर्ण
.2		आमचौपरा	2. चौपरा खुर्द 3. चौपरा रैयतवारी	2621 1860	235.38 121.64	सम्पूर्ण सम्पूर्ण
.3		हिरदेपुर	4. हिरदेपुर	3740	232.17	सम्पूर्ण
4		मारुताल	5. मारुताल 6. कोटातला रैयतवारी	793 391	606.86 206.03	सम्पूर्ण सम्पूर्ण
5		पिपरिया दिगम्बर	7. लाडनबाग	1146	394.42	सम्पूर्ण
.6		मराहार	8. राजनगर खुर्द	70	203.22	सम्पूर्ण
7		समन्ना	9. समन्ना माल 10.समन्ना रैयतवारी	1052 167	541.27 141.9	सम्पूर्ण सम्पूर्ण
8		सिंगपुर	11. सिंगपुर	1686	551.24	सम्पूर्ण
9		कुअरपुर	12. पिपरिया नायक	313	108.38	सम्पूर्ण

## अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, दमोह नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

- उत्तर दिशा:- उत्तर दिशा में ग्राम महाआखेडा.  
 पूर्व दिशा :- पूर्व दिशा में ग्राम खमखेरा.  
 दक्षिण दिशा:- दक्षिण दिशा में ग्राम अथाई  
 पश्चिम दिशा:- पश्चिम दिशा में ग्राम कोरासा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्रमांक एफ 1-02/2022/18-3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 एफ 1-02/2022/18-3 दिनांक 11-03-2024 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

Bhopal, the 11<sup>th</sup> March 2024

Noti. No. 3 F-1-02/2022/18-3 In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas mentioned in Schedule-I below within the limit of municipal area of Damoh , District- Damoh, Namely:-

**SCHEDULE- I**

The Area of villages included within the Municipal limit of Damoh Shall be as follows:

S.NO	Tehsil	Name of Gram panchyat	Name of Village	to be included Survey no	Area in Hec.	Detail of area
1	2	3	4	5	6	7
01	Damoh	Imlai	1.Imlai	2413	571.00	Total
02		Aam choupra	2. Choupra khurd 3.Choupra raitwari	2621 1860	2035.38 121.64	Total
03		Hirdepur	4. Hirdepur	3740	232.17	Total
04		Maarutal	5. Maarutal 6. Kotatala raitwari	793 391	606.86 206.03	Total
05		Pipariya Digamber	7. Ladan Bag	1146	394.42	Total
06		Marahar	8. Rajnagar Khurd	70	203.22	Total
07		Samnna	9 Samnna Mal 10 Samnna Raitwari	1052 167	541.27 141.09	Total
08		Singpur	11. Singpur	1686	551.24	Total
09	Kuvarpur	12. Pipariya Nayak	313	108.38	Total	

**SCHEDULE –II**

The revised boundries of the Municipal area Damoh, after inclusion of the area prescribed in Schedule-I above are as follows :-

**North direction:- Village mahuakheda in the North direction**

**East direction:- Village Khamkhera in the East direction**

**South Direction:- Village athai in the South Direction**

**West direction:- Village Korasa in the West direction**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.